भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 662**

**22 जुलाई, 2026 के लिए प्रश्न**

**स्मार्ट खाद्यान्न एटीएम**

**662. श्री हरेन्द्र सिंह मलिक:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मुजफ्फरनगर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रवासी कामगारों के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों पर स्मार्ट खाद्यान्न एटीएम लगाने के लिए कोई विशेष बजटीय प्रावधान कर रही है;

(ख) क्या मुजफ्फरनगर स्थित भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्य भंडारण निगम के गोदाम में आधुनिक साइलो प्रौद्योगिकी को अपनाकर खाद्यान्नों के भंडारण में खाद्यान्न हानि को शून्य करने के लिए कोई समयबद्ध योजना है;

(ग) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मुजफ्फरनगर में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बीपीएल) राशन कार्ड धारकों को फोर्टिफाइड चावल के अलावा राजसहायता प्राप्त दरों पर दालें और खाद्य तेल उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है;

(घ) क्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मुजफ्फरनगर के दूर- दराज के गांवों में मोबाइल राशन वैन सेवा को और सुदृढ़ करने के लिए कोई नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री**

**(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)**

**(क) और (ख):** अन्नपूर्ति ब्रांड नाम से जानी जाने वाली अनाज एटीएम, विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी), भारत द्वारा डिजाइन, परिकल्पित और विकसित की गई है। इस स्वचालित अनाज वितरण मशीन का उद्देश्य मौजूदा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रणाली का उपयोग करके लाभार्थियों को अनाज की 24/7 त्वरित, सटीक और पारदर्शी उपलब्धता प्रदान करके उन्हें बेहतर अनुभव देना है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम/एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के प्रवासी लाभार्थियों को उनके टीपीडीएस (लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली) के तहत मिलने वाले लाभों तक पहुंच बढ़ाना और सटीक वजन सुनिश्चित करना भी है।

...2/-

भारत सरकार की भूमिका इस पहल में इच्छुक राज्यों और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) को समन्वयक के रूप में सुविधा प्रदान करने तक ही सीमित है। भारत सरकार ने देश में प्रवासी श्रमिकों के लिए 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' योजना के तहत उचित दर दुकानों (एफपीएस) पर स्मार्ट अनाज एटीएम स्थापित करने के लिए कोई बजटीय प्रावधान नहीं किया है।

साइलो भंडारण मशीनीकृत और स्वचालित है, जिससे नुकसान को कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा, साइलो का निर्माण सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर किया जा रहा है और किसी भी असामान्य नुकसान के लिए रियायतग्राही उत्तरदायी होगा। साइलो में गेहूं के भंडारण में, यदि भंडारण अवधि एक वर्ष से अधिक है, तो अधिकतम नुकसान केवल ग्रहण की गई मात्रा के 0.05% तक ही स्वीकार्य है।

वर्तमान में, मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) या राज्य भांडागारण निगम (एसडब्ल्यूसी) द्वारा किसी भी स्टील साइलो परियोजना की योजना नहीं बनाई गई है।

**(ग):** लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के प्रावधानों के अनुसार संचालित होती है। अधिनियम के अंतर्गत, "खाद्यान्न" शब्द को चावल, गेहूं या मोटे अनाज या इनमें से किसी भी संयोजन के रूप में परिभाषित किया गया है, जो समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा आदेश के माध्यम से निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हो।

वर्तमान में, दालों और खाद्य तेलों जैसी अन्य और वस्तुओं को इस योजना में शामिल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

**(घ) और (ङ):** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) का संचालन केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर खाद्यान्न आवंटन, पात्र लाभार्थियों की पहचान, उन्हें राशन कार्ड जारी करना, टीपीडीएस के तहत पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण, उचित दर दुकानों के डीलरों को लाइसेंस जारी करना, एफपीएस की कार्य पद्धति की निगरानी और पर्यवेक्षण आदि की प्रचालन संबंधी जिम्मेदारियां संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के पास हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि लाभार्थियों को खाद्यान्न का सुविधाजनक वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर उचित दर दुकानें (एफपीएस) कार्यरत हैं और खाद्यान्न का वितरण इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीनों से एकीकृत ई-पीओएस मशीनों के माध्यम से किया जा रहा है।

*****